



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना.-प्रथम/2018/3404 जयपुर दिनांक: 26.7.2018

संशोधन आदेश

विभागीय पत्रांक 3366 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां को क्र.सं. 4 पर श्री मोहन लाल मील को ग्रा0प0 आवा देवली से बडोली देवली, बारां एवं क्र.सं. 5 पर श्री जितेन्द्र धाकड को बडोली देवली से ग्रा0प0 आवा देवली, बारां में स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधित कर पढा जावे:-


क्र. सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां को
1	मोहन लाल मील	ग्रा0प0 आवां पं0स0 देवली, टोंक	ग्रा0प0 बडोली, पं0स0 देवली, टोंक
2	जितेन्द्र धाकड	ग्रा0प0 बडोली, पं0स0 देवली, टोंक	ग्रा0प0 आवां पं0स0 देवली, टोंक

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0वि0पं0राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- ✓ 3. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां एवं टोंक।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली (टोंक)।
6. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव